दूरभाष : कार्यालय : 07759-222886
निवास : 07759-222486
फैक्स : 07759-224200

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

## कोरबा ( छत्तीसगढ़ )

क्रमांक 1168 दिनांक 29.6.2016

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी( राजस्व)
कोरबा/कटघोरा/पोड़ीउपरोड़ा

विषयः– शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र बनवाकर शाला में वितरण कराने बाबत् ।

संन्दर्भः– सचिव,छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का ज्ञापन क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3/ नया रायपुर,दिनांक–28.05.2016

––00––

विषयान्तर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र कमांक 36028/1/2014–Estt.(Res.) दिनांक–06.05.2016 में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि कक्षा–5वीं अथवा 8 वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उन्हे स्थायी जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र बनवाकर उनका वितरण उन्हें शाला में ही करने का विचार किया जाए।

2. तत् संबंध में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संन्दर्भित ज्ञापन दिनांक–12.12.2011 में उल्लेखित निर्देशों की ओर ध्यानाकर्षित किये हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में अभियान चलाया जाकर, कक्षा 9 वीं से 12 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उनके स्थायी जाति प्रमाण–पत्र बनायें जाकर, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से उसका सत्यापन पश्चात् प्रदाय करने की कर्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियम) अधिनियिम,2013 एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियम) नियम,2013 के प्रावधानों के संबंध में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24.09.2013 द्वारा सरल भाषा में जारी किये गये निर्देशों के बिन्दु 1.2 की ओर भी ध्यानाकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार संबंधित विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ही अध्ययनरत विद्यार्थियों के जाति प्रमाण–पत्र स्कूलों के माध्यम से ही संबंधित विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है।

4. भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई अपेक्षा को देखते हुंए राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उनके स्थायी जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संबंधित शालाओं में ही शिविर का आयोजन कर, विद्यार्थियों को उनके निवास प्रमाण–पत्र एवं अस्थायी जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित करने की कार्यवाही की जाए।

5. उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने के लिए शालाओं में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक सत्र में उनके समक्ष दर्शित कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रमाण–पत्र बनायें जायेंगेः–

| क0 | शैक्षणिक सत्र | कक्षा |
|---|---|---|
| 1 | वर्ष–2016–17 | कक्षा 8 वीं, 9वीं,10 वीं, 11 वीं एवं 12 वीं |
| 2 | वर्ष–2017–18 | कक्षा 6 वीं,7 वीं, एवं 8 वीं |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | वर्ष–2018–19 | कक्षा 6 वीं |

6. उपरोक्त कंडिका 5 में निर्धारित कार्यवाही के लिये निम्नानुसार समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:–

| क0 | कार्यक्रम | समय–सीमा |
|---|---|---|
| 1 | शालाओं को आवेदन पत्रों , चेक लिस्ट एवं प्रपत्रों का प्रदाय करना । | 15 जून तक |
| 2 | प्रधान पाठकों/प्राचार्यों को प्रशिक्षण देना। | 15 जून तक |
| 3 | प्रधान पाठकों/प्राचार्यो द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को पूर्ण कराना । | 31 जुलाई तक |
| 4 | राजस्व अधिकारियों द्वारा शालाओं में जाकर शिविर आयोजित करना एवं विद्यार्थियों के निवास प्रमाण–पत्र एवं अस्थायी जाति प्रमाण–पत्र तैयार कर वितरण करना । | 31 अक्टूबर तक |
| 5 | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण–पत्र तैयार करवाकर शालाओं में वितरण कराना। | 31 अक्टूबर तक |

7. (अ). कंडिका 6 में निर्धारित कार्यक्रम के बिन्दु कमांक– 01 के अनुक्रम में सूचित किया जाता है, कि वर्ष–2016–17 में कक्षा–8 वीं से 12 वीं तक के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण–पत्र तैयार कर प्रदाय करने हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निम्नांकित विवरण अनुसार आवेदन पत्रों का वितरण किया जा चुका है:–

| क0 | **विकास खण्ड का नाम** | **वितरित आवेदन पत्र** |
|---|---|---|
| 1 | विकास खण्ड शिक्षा अधिकरी कोरबा | 12000 |
| 2 | विकास खण्ड शिक्षा अधिकरी कटघोरा | 6000 |
| 3 | विकास खण्ड शिक्षा अधिकरी करतला | 5100 |
| 4 | विकास खण्ड शिक्षा अधिकरी पाली | 13475 |
| 5 | विकास खण्ड शिक्षा अधिकरी पोड़ीउपरोड़ा | 6526 |
| 6 | तहसील कार्यालय कोरबा ( पहाड़ी कोरवाओं /बिरहोर जाति का स्थायी जाति,निवास प्रामण–पत्र तैयार करने हेतु | 2000 |
| | योग | 45101 |

7. **(ब)**. कंडिका 6 के बिन्दु कमांक–2 अनुसार प्रधान पाठकों/प्राचार्यों को प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा,कटघोरा एवं पोड़ीउपरोड़ा उनके अधीनस्थ कार्यरत तहसीलदार को नियोजित किया जाता है । **समय–सीमा–20 जून/2016**

**7. (स)**. कंडिका 6 के बिन्दु कमांक–3,4 एवं 5 के अनुसार निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार शालाओं के शैक्षणिक सत्र मे दौरान अध्ययनरत एवं पात्र विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें **( कार्यवाही–समस्त प्रधान पाठक/प्राचार्य/राजस्व अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**

8. सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रत्येक टी0एल0 की बैठक में स्थायी जाति प्रमाण–पत्र निवास प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की समीक्षा की जावेगी । अतः समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जाति प्रमाण–पत्र तैयार करने की प्रगति की जानकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें। टी0एल0 की बैठक समाप्ति पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण–पत्र तैयार करने की प्रगति की जानकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय कोरबा में प्रस्तुत कर पावती प्राप्त करेगें ।

9\. **कंडिका 5 के बिन्दु कमांक–2 एवं 3** अनुसार कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा वर्ष–2017–18 में कक्षा 6 वीं,7वीं, एवं 8 वीं तथा वर्ष–2018–19 में अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण प्रदाय करने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र छपाई कार्य एवं वितरण हेतु कक्षावार एवं वर्गवार दर्ज संख्या–सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा को उपलब्ध करायेगें । **(समय–सीमा–30 सितम्बर)**

10\. जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा दिनांक–**30 सितम्बर/2016** को उपलब्ध कराये गये दर्ज संख्या अनुसार अस्थायी/स्थायी एवं निवास प्रमाण–पत्र तैयार करने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र एवं सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रदाय हेतु बुकलेट की छपाई कार्य कराया जाकर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा द्वारा संबंधितों को उपलब्ध कराया जावेगा । **(समय–सीमा–31 दिसम्बर/2016)**

कलेक्टर,
जिला–कोरबा (छ0ग0)

पृ0क्र0/जा0प्र0/2016–17/ 1169 कोरबा,दिनांक–29/6/2016

प्रतिलिपिः–

1/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रलाय महानदी भवन नया, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2/ समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा,कटघोरा, एवं पोड़ीउपरोड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4/ जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5/ डी0आई0ओ0 (NIC) कोरबा की ओर जिला कोरबा के बेबसाईड में अपलोड करने हेतु।

5/ समस्त प्राचार्य उ0मा0शा0/हाईस्कूल———————की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

6/ समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा/कटघोरा/करतला/ पाली एवं पोड़ीउपरोड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

7/ समस्त प्रधान पाठक माध्यमिक शाला——————— की ओर सूचनार्थ पालनार्थ ।

कलेक्टर,
जिला–कोरबा (छ0ग0)